न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-436/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016

सरकार बनाम मो0 इस्माईल

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
03.12.2020	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 819/हि0शा0,दिनांक 19.04.2020) के आलोक में पलासी थाना काण्ड संख्या-64/2020, दिनांक 04.03.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-A/F, चेसीस संख्या-MBLHAW086KHB46564, ईजन संख्या-HA10AGKHB83076 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। पलासी थाना काण्ड संख्या-64/2020, दिनांक 04.03.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के नामजद अभियुक्त-मो0 इस्माईल, पिता-मो0 गयासउद्दीन, सा0-डेहटी, वार्ड नं0-09, थाना-पलासी, जिला-अररिया को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। (2) वाहन मालिक मो0 इस्माईल, पिता-मो0 गयासउद्दीन, सा0-डेहटी, वार्ड नं0-09, थाना-पलासी, जिला-अररिया की ओर से दिनांक 08.09.2020 को मोटर साईकिल विमुक्ति हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया है और दिनांक 10.08.2020 को उनकी ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 819/हि.शा., दिनांक 19.04.2020), वाहन मालिक की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 10.08.2020, कारण-पृच्छा दिनांक 08.09.2020 एवं अभिलेख के साथ संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (4) विपक्षी की ओर से दाखिल कारण-पृच्छा दिनांक 08.09.2020 के अनुसार 04.03.2020 को पलासी टोला जाने वाली सड़क पर वाहन मालिक अपनी मोटर साईकिल निबंधन संख्या-A/F, चेसीस संख्या-MBLHAW086KHB46564, ईजन संख्या-HA10AGKHB83076 को खड़ी करके किसी से बात करने बगल के बस्ती में चला गया था, जहाँ उन्हें कुछ देर लग गई। इसी बीच पुलिस ने उनकी मोटर साईकिल को जब्त कर लिया। जब वह चौक पर पहुँच तो लोगों द्वारा बताया कि उनकी मोटर साईकिल से **10 (दस) बोतल इसकफ कफ सिरप** बरामद हुआ है। जबकि उनके द्वारा अपनी मोटर साईकिल में कुछ भी नहीं रखा गया था। उन्हें झूठा केस में फंसाने हेतु उनके दुश्मनों द्वारा ऐसी हरकत की गई है। मोटर साईकिल मालिक पर्याप्त प्रतिभूति बंध-पत्र दाखिल करने को तैयार है। उनकी प्रार्थना है कि उनकी मोटर साईकिल को सशर्त्त विमुक्त किया जाय। (5) मोटर साईकिल निबंधन संख्या-A/F, चेसीस संख्या-MBLHAW086-KHB46564, ईजन संख्या-HA10AGKHB83076 के मालिक के कारण-पृच्छा तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय	

अधिहरण वाद संख्या-436/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
03.12.2020	को यह समाधान हो गया है कि जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-A/F, चेसीस संख्या-MBLHAW086KHB46564, ईजन संख्या-HA10AGKHB83076 **का उपयोग कुल-10 (दस) बोतल प्रति बोतल 100 मिली लीटर इसकफ कफ सिरप,** जो मादक द्रव्य (Intoxicating drug) है, को बिना किसी वैद्य कागजात के व्यावसायिक उद्देश्य से ढोने में किया गया है। अधिसूचना संख्या-11/अधि.कार्या.-01-06/2016/4027, दिनांक 18.10.2016 के अनुसार बिहार राज्य सरकार Codein/Dextropropoxyphene औषधीय घटक वाले दवाओं अथवा औषधीय निर्मित को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रयोजनार्थ "मादक द्रव्य (Intoxicating)" अधिसूचित है। जब्त कफ सिरप का कोई दावेदार इस न्यायालय में अपना दावा नहीं किया है। जब्त मोटर साईकिल को विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। विपक्षी की ओर से दाखिल कारण-पृच्छा मनगढ़ंत एवं गलत है तथा अस्वीकृत होने योग्य है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त वाहन राजसात होने योग्य है। तद्नुसार विपक्षी की ओर से दाखिल कारण-पृच्छा दिनांक 08.09.2020 को अस्वीकृत किया जाता है तथा पलासी थाना काण्ड संख्या-64/2020, दिनांक 04.03.2020 धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-A/F, चेसीस संख्या-MBLHAW086KHB46564, ईंजन संख्या-HA10AGKHB83076 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत **राजसात (Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें। विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अंदर अपील दाखिल कर सकते है। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 2374/विधि, अररिया, दिनांक 11/12/2020 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोज, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। समाहर्त्ता, अररिया	